भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DW 226770

—: अनुबन्ध पत्र :—

प्रथम पक्ष—मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, बांदा

द्वितीय पक्ष—मेसर्स सिंह इंटरप्राईजेज, 662/9 सिविल लाइन, डी0एम0 कॉलोनी, बांदा (उत्तर प्रदेश) सेवा प्रदाता फर्म पार्टनर श्री मनोज कुमार सिंह पुत्र श्री रामसनेही सिंह।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद बांदा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों (प्र0चि0अ0/बी0पी0एम0/बी0डी0ए0/एच0ई0ओ0) को विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं आर0बी0एस0के0 टीमों हेतु वाहनों को अनुबन्धित किये जाने हेतु दिनांक 12.03.2018 को सम्पादित किया गया। स्वीकृत निविदा की दरें अनुबंध की तिथि(12.03.2018) से दो वर्ष के लिये मान्य होगी। इसके पश्चात् निविदा को जिला स्वास्थ्य समिति बांदा के द्वारा निरस्त अथवा विस्तारित किया जायेगा।

1. द्वितीय पक्ष द्वारा बांदा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, अपर निदेशक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0, आर0एन0टी0सी0पी0, एन0एम0एच0पी0, एन0टी0सी0पी0, एन0यू0एच0एम0 एवं सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरैनी, बबेरू, जसपुरा, जौरही, महुआ, तिन्दवारी, कमासिन व बिसण्डा में जनपद स्तरीय अधिकारियों, ब्लाक स्तरीय अधिकारियों एवं आर0बी0एस0के0 टीमों हेतु उक्त पर्यवेक्षण/भ्रमण कार्य हेतु कुल 33 टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध कराना होगा।

मनोज कुमार
M/s.-Singh Enterprises
Partner

12/3/18
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बाँदा

2. सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष को 33 टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध करायेगा । जिसमें वाहन चालक, जी0पी0एस0 तथा पी0ओ0एल0 की व्यवस्था सेवा प्रदाता द्वारा की जायेगी तथा वाहन की सभी प्रकार की टूट–फूट व मरम्मत आदि की जिम्मेदारी भी सेवा प्रदाता की ही होगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस आदि की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
4. वाहन में निम्नलिखित सुविधायें अनिवार्यतः होनी चाहिए –
    - वाहन में प्राथमिक उपचार किट ।
    - वाहन दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी तथा द्वितीय पक्ष की होगी।
    - वाहन चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्ष किया जायेगा ।
    - नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने या वाहन खराब हाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा, वाहन न उपलब्ध कराने की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा रू0 1200/– प्रतिदिन की दर से सेवा प्रदाता को भुगतान की जाने वाली राशि से कटौती करते हुये वैकल्पिक वाहन का भुगतान किया जायेगा।
5. द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि कार्यालय को लिखित रूप में सूचना देकर अनुबंधित वाहन के स्थान पर समरूप दूसरा टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध करा सकता है।
6. द्वितीय पक्ष को सुरक्षा की निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति बांदा के नाम रू–100000/– की धरोहर राशि जमा कराना होगा । जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिवस के अन्दर नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध की अवधि पूरी होन पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।
7. सेवा प्रदाता को वाहन की व्यवस्था प्रातः 08.00 बजे से सायं 5.00बजे तक उपलब्ध रखना होगा।
8. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाईल उपलब्ध करायेगा जिससे अधिकारी उसे समय समय पर कार्य निर्देशन हेतु सम्पर्क कर सके ।
9. सेवा प्रदाता को आवंटित इकाईयों पर निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध कराने एवं अग्रिम भ्रमण कार्ययोजना के अनुसार वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये उपरोक्तानुसार भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लॉगबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अंदर, अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. वाहन चालक के पास वैद्य लाईसेन्स होना अनिवार्य है । द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा , प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा , द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता के निर्देशों का अनुपालन करें । द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन न करें , ऐसा पाये जाने की स्थिति पर सुरक्षित धरोहर राशि जब्त करते हुए अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष का होगा ।

मनोज कुमार

M/s Singh Enterprises
द्वितीय पक्ष
मेसर्स सिंह इंटरप्राईजेज
662/9 सिविल लाइन
Partner
डी0एम0 कॉलोनी, बांदा

प्रथम पक्ष
12/3/18
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सदस्य सचिव,
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बांदा
जिला स्वास्थ्य समिति,बांदा

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बांदा

पत्रांक :सी0एम0ओ0 / एन0एच0एम0 / सर्पो0सुपरविजन / 2017–18 / 1403 दिनांक– 22/3/18

मेसर्स सिंह इंटरप्राईजेज,
662 / 9 सिविल लाइन,
डी0एम0 कॉलोनी, बांदा।

दिनांक 12.03.2018 को सम्पन्न हुयी निविदा के अनुसार आप द्वारा भरे गये अनुबन्ध पत्र दिनांक–14.03.2018 के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अनुबन्धित निम्नलिखित वाहनों को ब्लाक एवं जिला स्तरीय अधिकारियों हेतु सर्पोटिव सुपरविजन के अन्तर्गत अनुबन्ध पत्र में निहित शर्तो के अनुसार सम्बन्धित अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी , सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के निर्देशन में संचालित कराना सुनिश्चित करें ।

Sr. No.	UNIT	Vehicle No.	APPROVED PER MONTH RATE WITH ALL TAX
1	CMO OFFICE	UP 66 T 4919	32900.00
2	CMO OFFICE	UP 70 DD7776	32900.00
3	AD BANDA	UP 71 X 5121	32900.00
4	AD BANDA	UP 90 ET 9268	32900.00
5	RNTCP	UP 90 T 3297	27000.00
6	NMHP	UP 90 F 9110	32900.00
7	NTCP	UP 71 T 8294	24900.00
8	DPMU	UP 66 Q 1146	32900.00
9	DPMU URBAN	UP 78 CT 7129	9900.00
10	PHC KAMASIN	UP 90 T 4151	32900.00
11	CHC BABERU	UP 90 N 4428	32900.00
12	PHC BISANDA	UP 90 T 5230	32900.00
13	CHC NARAINI	UP 77 Q 4665	32900.00
14	PHC TINDWARI	UP 78 DN 6242	32900.00
15	PHC BADOKHAR	UP 78 DW 8626	32900.00
16	CHC BAHERI (MAHUA)	UP 71 T 7791	32900.00
17	CHC JASPURA	UP 78 ED 7437	32900.00

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बांदा 17/3/18

पत्रांक :सी0एम0ओ0 / एन0एच0एम0 / सर्पो0सुपरविजन / 2017–18 / तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
4. जिला क्षयरोग अधिकारी, बांदा।
5. नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0, बांदा।
6. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन0एच0एम0, बांदा।
7. समस्त अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जनपद–बांदा।
8. समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जनपद–बांदा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बांदा

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बांदा

पत्रांक :सी0एम0ओ0/एन0एच0एम0/सर्पो0सुपरविजन/2017–18/ दिनांक– 22/3/18

मेसर्स सिंह इंटरप्राईजेज,
662/9 सिविल लाइन,
डी0एम0 कॉलोनी, बांदा।

दिनांक 12.03.2018 को सम्पन्न हुयी निविदा के अनुसार आप द्वारा भरे गये अनुबन्ध पत्र दिनांक–14.03.2018 के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अनुबन्धित निम्नलिखित वाहनों को ब्लाक एवं जिला स्तरीय अधिकारियों हेतु सर्पोटिव सुपरविजन के अन्तर्गत अनुबन्ध पत्र में निहित शर्तो के अनुसार सम्बन्धित अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी , सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के निर्देशन में संचालित कराना सुनिश्चित करें ।

Sr. No.	UNIT	Vehicle No.	APPROVED PER MONTH RATE WITH ALL TAX
1	CMO OFFICE	UP 66 T 4919	32900.00
2	CMO OFFICE	UP 70 DD7776	32900.00
3	AD BANDA	UP 71 X 5121	32900.00
4	AD BANDA	UP 90 ET 9268	32900.00
5	RNTCP	UP 90 T 3297	27000.00
6	NMHP	UP 90 F 9110	32900.00
7	NTCP	UP 71 T 8294	24900.00
8	DPMU	UP 66 Q 1146	32900.00
9	DPMU URBAN	UP 78 CT 7129	9900.00
10	PHC KAMASIN	UP 90 T 4151	32900.00
11	CHC BABERU	UP 90 N 4428	32900.00
12	PHC BISANDA	UP 90 T 5230	32900.00
13	CHC NARAINI	UP 77 Q 4665	32900.00
14	PHC TINDWARI	UP 78 DN 6242	32900.00
15	PHC BADOKHAR	UP 78 DW 8626	32900.00
16	CHC BAHERI (MAHUA)	UP 71 T 7791	32900.00
17	CHC JASPURA	UP 78 ED 7437	32900.00

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बांदा

पत्रांक :सी0एम0ओ0/एन0एच0एम0/सर्पो0सुपरविजन/2017–18/ 1403–5 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
4. जिला क्षयरोग अधिकारी, बांदा।
5. नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0, बांदा।
6. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन0एच0एम0, बांदा।
7. समस्त अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जनपद–बांदा।
8. समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जनपद–बांदा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बांदा 17/3/18

Office CMO, Banda

S.No.	UNIT	VehicleNo.	Approved Per Month Rate With All Tax
1	CMO OFFICE	UP 66 T 4919	32900.00
2	AD BANDA	UP 90 ET 9268	32900.00
3	PHC KAMASIN	UP 90 T 4151	32900.00
4	CHC BABERU	UP 90 N 4428	32900.00
5	PHC BISANDA	UP 90 T 5230	32900.00
6	CHC NARAINI	UP 77 Q 4665	32900.00
7	PHC TINDWARI	UP 78 DN 6242	32900.00
8	PHC BADOKHAR	UP 78 DW 8626	32900.00
9	CHC BAHERI (MAHUA)	UP 71 T 7791	32900.00
10	CHC JASPURA	UP 78 ED 7437	32900.00